

प्रतिलिपि प्रब्र संख्या-3403/सतर-6-2007-2(160)/2007 दिनांक 11.09.2007 हारा जनु साधित, उच्च शिक्षा अनुसार-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, उत्तर प्रदेश जाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0विभ0/सम्ब./1805/2007 दिनांक 16.08.2007 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि 0090राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973(यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की खाता-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर की स्नातक सत्र पर शी0सी0ए0 पद्धतिक्रम में स्वीकृत प्रोफेट योजना के प्रदान करते हैं।

1. महाविद्यालय निरीक्षण आवधा एवं प्रयत्न की पैकी इग्निट समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रोफेशन प्राप्तिक्रिया रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राचार्यकों की नियमानुसार नियुक्ति वार उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर सिया जायेगा।
3. महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का अनुग्रहित विश्वविद्यालय से प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. मरथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी जासानीवेदन संख्या-2851/सतर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में विभिन्न जासानीवेदों का पालन करेगी।
5. यहां संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की विभिन्न विभागी/अधिनियमावली/अधिनियम 1973 के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्ति भर्ती एवं मानकों की वृद्धि एवं उनकी निरन्तरता वो सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उम्प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता महाविद्यालय समस्त उपरोक्त कमियों एक माह में पूर्ण कर लेगा।

उत्तरपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0विभ0/सम्ब0/ २।५६ /२००७

दिनांक २२।१०।०८

प्रतिलिपि नियमावली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, प्रबन्ध समिति, द्वारा एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को इस आशय से ग्रेवित है कि महाभिहिम कुलाधिपति पठाड़घ के उपरोक्त निर्देशों का अनुग्रहित करना सुनिश्चित वारे। मानवीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि मानवीय कुलपति जी के आदेशानुसार यह भी सूचित करना है कि प्राचार्य, शिक्षकों का अनुग्रहित पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्ञानिंग, मनुवन्य पत्र(अधिनियम सहित) तथा प्रबन्धक का सप्त पत्र (अधिनियम सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना और महाभिहिम कुलाधिपति पठाड़घ के साम्बद्धता पत्र में इग्निट कमियों की पूर्ण उक्त पत्र में इग्निट समय सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित कराया जाए। प्रेषण हेतु उक्त वर्णित विभिन्नों में 02 सेवशन (प्रति सेवशन 60 वार्त) कुल 120 शीट्स विधारित की जाती है।
2. उप कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. सिटम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।
4. इचारे, ई0डी0वी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर।

(मोहेश चन्द्र)
कुलसचिव

DO -
for record in the
concerned file
24/9/07

四四〇

संख्या-3369 / सत्तर-८-२०१०-२(३२०) / २०१०

- इन्द्रदेव पटेल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सौना में

कुलसचिव,
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,
कानपुर।

२०१५

प्रियजन— महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।
पाठ्यदृश्य

लखनऊ: दिनांक: ३१ अगस्त, 2010

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1532 / 2010, दिनांक 15.06.2010 एवं पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1742 / 2010, दिनांक 14.07.2010 एवं पत्रांक-सी0एस0जे0एम0वि0वि0 / सम्ब0 / 1995 / 2010, दिनांक 10.08.2010 के संदर्भ में गुब्बे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तराराज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की वारा-37(2) के अधीन दयानन्द एकेडमी आफ गैजेजेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर को स्नातक स्तर पर और भी0र्थी0एण्ड पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित योजनानान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्णानुमति प्रदान कर दी हैं—

- सरथा शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उत्तिष्ठित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
 - यदि सरथा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भावदीय

(इन्द्रदेव पटेल)
अनु सचिव।

भरतीया-3369(1) / सत्तर-6-2010 तददिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, कानपुर।
 - प्रबन्धक, दयानन्द एकेडमी आफ मैनेजमेंट स्टडीज, गोविन्द नगर, कानपुर।
 - निजी संघिव, संत्री, उच्च शिक्षा।
 - गाँड काइल।

आकाश

जाजा ता,
इन्द्रदेव पटेल
अनु सचिव।